

71वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2023

निर्देशिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य सूचना	3 - 12
2.	फ़ीचर फ़िल्म विनियम	13- 23
3.	गैर फ़ीचर फ़िल्म विनियम	24 – 33
4.	सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन	34 -40

भाग अ
सामान्य सूचना

सामान्य सूचना

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ:

इन विनियमों को राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार विनियम कहा जाएगा तथा ये तत्काल प्रवृत्त होंगे।

2. उद्देश्य:

पुरस्कार का उद्देश्य उत्कृष्ट सौंदर्य बोध, तकनीक तथा सामाजिक प्रतिबद्धता की ऐसी फ़िल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देना है जो सिनेमाई रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों की समझ एवं विवेचन में योगदान तथा साथ ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देती हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य पुस्तकों, लेखों, समीक्षाओं आदि के प्रकाशन के माध्यम से कला रूप में सिनेमा के अध्ययन तथा विवेचन की ओर इस कला के रूप संबंधी सूचना के प्रसार और समालोचनात्मक विवेचन को भी प्रोत्साहन देना है।

3. परिभाषा:

इन विनियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "बोर्ड" से केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड अभिप्रेत है।

(ख) "निगम" से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम अभिप्रेत है।

(ग) "पुरस्कार" से राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार अभिप्रेत है।

(घ) "मंत्रालय" से सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है।

(ङ) "निर्माता" से वैयक्तिक निर्माता, निर्माण कंपनी, सरकारी विभाग या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान शामिल हैं।

(च) "अधिकार धारक" से निगेटिव का स्वामी, जो किसी फ़िल्म विशेष के लिए प्रयोगशाला में चलचित्र की फ़िल्मों के प्रिंटों के लिए ऑर्डर देने के लिए अधिकृत है।

4. आयोजक

यह पुरस्कार भारत सरकार की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय या समय-समय पर अधिसूचित इस प्रकार के अन्य संगठन द्वारा आयोजित किया जाएगा।

5. वर्ग :

पुरस्कारों में निम्नलिखित वर्ग होंगे :

1. फ़ीचर फ़िल्म
2. गैर- फ़ीचर फ़िल्म
3. सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन
4. दादा साहब फाल्के पुरस्कार

6. भारतीय सिनेमा के संवर्धन और विकास के लिए पुरस्कार

6.1 फ़ीचर फ़िल्मों (अनुसूची I), गैर- फ़ीचर फ़िल्मों (अनुसूची II) और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन हेतु पुरस्कारों के अतिरिक्त, भारत सरकार अपने विवेक से भारतीय सिनेमा के संवर्धन, विकास और विशिष्ट योगदान के लिए किसी फ़िल्मी व्यक्तित्व को दादा साहब फाल्के पुरस्कार नामक एक पुरस्कार देगी जिसमें एक स्वर्ण कमल, 15,00,000/- (पंद्रह लाख रूपये) नकद तथा एक शॉल शामिल होगा।

7. योग्यता

7.1 केवल वे ही व्यक्ति पुरस्कारों के लिए पात्र होंगे जिनका नाम फ़िल्मों के नामोल्लेखों में है और सामान्यतः भारत में रह रहे हैं। फ़िल्म भारत में निर्मित होनी चाहिए। यदि फ़िल्म के सह-निर्माता के रूप में कोई विदेशी व्यक्ति शामिल है, तो निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:-

- (1) कम से कम एक सह-निर्माता भारतीय होना चाहिए।
- (2) भारतीय सह-निर्माता भारत में पंजीकृत होना चाहिए अथवा भारत का नागरिक होना चाहिए।
- (3) भारत सरकार द्वारा जारी आवेदक की फोटो आईडी या आधार कार्ड की स्वयं-सत्यापित प्रति होनी चाहिए (अनिवार्य)।
- (4) फ़िल्म का शीर्षक भारतीय फ़िल्म शीर्षक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
- (5) फ़िल्म का निर्देशक भारतीय होना चाहिए। उसके कलाकार तथा तकनीशियन मुख्यतः भारतीय होने चाहिए।
- (6) फ़िल्म का निगेटिव भारत में अधिकार धारक के पास होना चाहिए ताकि उसके प्रिंट लिए जा सकें।
- (7) आवेदनकर्ता को यह अधिकार होना चाहिए की वह भारत तथा विदेश में होने वाले फ़िल्म समारोहों में भारतीय प्रविष्टि के रूप में फ़िल्म की भागीदारी के लिए स्वीकृति दे सके तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित भारतीय सिनेमा समारोहों में उसे दिखाया जा सके।

7.2 विदेशी मूल के फ़िल्म कलाकार एवं तकनीशियनों को भी पुरस्कार के योग्य माना जा सकता है

7.3 **फ़िल्म 1 जनवरी 2023 और 31 दिसम्बर 2023** (दोनों दिनों को मिलाकर) के बीच केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

7.4 फ़ीचर फ़िल्म की पात्रता- वह फ़िल्में जो किसी भी भारतीय भाषा में डिजिटल/वीडियो प्रारूप में बनी हो तथा 72 मिनट की अवधि से अधिक हो और फ़ीचर फ़िल्म या कल्पित फ़िल्म के रूप में प्रस्तुत हो।

7.5 गैर-फ़ीचर फ़िल्म की पात्रता- वह फ़िल्में जो किसी भी भारतीय भाषा में डिजिटल/वीडियो प्रारूप में बनी हो तथा डॉक्यूमेंट्री/न्यूज रील/गैर-कल्पित/लघु कल्पित फ़िल्म रूप में प्रस्तुत हो।

7.6 किसी फ़िल्म के फ़ीचर या गैर-फ़ीचर होने के प्रश्न पर निर्णय सेंसर प्रमाण पत्र में दी गई श्रेणी के आधार पर किया जाएगा।

7.7 फ़िल्मों में अंग्रेजी उप-शीर्षक होना आवश्यक है। कृपया प्रिंट/ डीसीपी/ ब्लू-रे या पेन ड्राइव (गैर-फ़ीचर फ़िल्म के लिए) के कवर पर निम्नलिखित अवश्य अंकित करें।

- फ़िल्म का शीर्षक
- निर्देशक का पूरा नाम
- निर्माता का पूरा नाम
- फ़िल्म की अवधि
- फ़िल्म का आस्पेक्ट रेशियो
- फ़िल्म की मूल भाषा

7.8 केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा (सीबीएफसी) द्वारा प्रमाणन की तिथि

7.9 सभी प्रविष्टियां केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित संस्करण में होनी चाहिए (फ़ीचर एवं गैर-फ़ीचर के प्रविष्टि पत्र का अनुलग्नक 1 देखें)

7.10 किसी भी व्यक्ति, निर्माता, निर्माता एकक, सरकारी संगठन तथा कंपनियों से अधिकतम सात (7) प्रविष्टियां ही स्वीकार की जाएंगी।

8. निम्नलिखित प्रविष्टि के लिए पात्र नहीं होंगे:-

क) डब किया हुआ/ संशोधित/पुनर्रचित/कोई भी भारतीय फ़िल्म का पुनः संपादित रूपांतर जो राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार हेतु पहले से ही प्रस्तुत किया हो, वह पात्र नहीं होगा। सभी फ़िल्में उनके मौलिक रूपांतर/भाषा में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ख) उन कलाकारों की फ़िल्में पुरस्कार के लिए अनुसूची I की क्रम संख्या (x) से (xiv) तक विचारणीय नहीं होंगी जिनके संवादों को किसी अन्य कलाकार द्वारा डब किया गया है।

ग) जिन फ़िल्मों का उपशीर्षक अंग्रेजी में नहीं है। (फ़िल्म निर्माता कृपया यह सुनिश्चित करें कि उप-शीर्षक स्पष्ट और पठनीय हैं। उपशीर्षक दृश्यों / पृष्ठभूमि के साथ विलय नहीं होना चाहिए। यह जूरी को सही संदर्भ को समझने और फ़िल्म का बेहतर मूल्यांकन करने में मदद करेगा। सभी बोले गए शब्द उप-शीर्षक वाले ही होने चाहिए)।

घ) डीसीपी की निम्न गुणवत्ता में प्राप्त प्रविष्टियां (अनक्रिपटिड, डी सी आई कंपलाइंट-जे2के, इंटरऑप या एसएमपीटीई डीसीपी- नोट : जे2के इंटरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस / ब्लू-रे (रीजन फ्री पीएएल) या पेन ड्राइव (गैर-फ़ीचर फ़िल्मों के लिए)।

9. कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (समय-समय पर संशोधन के अनुसार) के प्रावधानों का उल्लंघन, यदि सिद्ध हुआ, तो फ़िल्म की प्रविष्टि रद्द कर दी जाएगी अथवा फ़िल्म को किसी भी पुरस्कार के लिए चयनित नहीं किया जाएगा।

10. ऐसे आवेदक पुरस्कार की प्रतियोगिता से स्वतः ही तीन वर्ष के लिए अयोग्य हो जाएंगे जो निर्णायक मण्डल के किसी सदस्य पर पत्राचार, फोन, ई-मेल इत्यादि द्वारा किसी भी प्रकार का प्रभाव/सिफ़ारिश कराते हुए पाए जाएंगे। इस अयोग्यता के कारण उस व्यक्ति

को राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार हेतु प्रतियोगिता में शामिल होने से तीन वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस संबंध में सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

11. राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार प्रकोष्ठ के अधिकारी किसी भी श्रेणी के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे।

प्रविष्टि प्राप्ति की अंतिम तारीख

12. ऑन-लाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर 2024 (शाम 5.00 बजे तक) है और अपेक्षित सामग्री के साथ जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2024 होगी। यदि अपेक्षित सामग्री के साथ प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो अगले कार्य दिवस को प्रविष्टियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि के रूप में माना जाएगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन को आवेदक के किसी भी संदर्भ के बिना अस्वीकार किया जा सकता है।

(टिप्पणी: आवेदक के द्वारा जमा की हुई फॉर्म की दोनों प्रतियां (ऑनलाइन कॉपी तथा हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी) एक समान होनी चाहिए तथा प्रतियां जमा कराए जाने के बाद कोई भी बदलाव मान्य नहीं होगा)।

फ़ीचर फ़िल्मों के लिए 18% जीएसटी सहित 11,800/- रुपये का गैर-वापसी योग्य प्रवेश शुल्क और गैर-फ़ीचर फ़िल्मों के लिए 18% जीएसटी सहित 5,900/- रुपये का भुगतान ऑनलाइन प्रविष्टि फॉर्म जमा करने के समय प्रेषित किया जाना चाहिए।

फ़िल्म प्रविष्टि प्रक्रिया

13. निर्माता वह है, जो एक फ़िल्म का निर्माण करता है और साथ ही फ़िल्म के कॉपीराइट और आपूर्ति/ डिजिटल प्रारूप की प्राधिकृत आपूर्ति/ निर्णायक मंडल के लिए प्रयोगशाला से सिनेमैटोग्राफिक प्रति या चयनित फ़िल्मों के फ़िल्म समारोह में अन्य स्क्रीनिंग आदि कर सकते हैं और वह एक व्यक्ति को लगा सकता है या एक कंपनी या एक संस्थान या अन्य कोई हस्ती और एक सह-निर्माता को भी सम्मिलित कर सकते हैं।

13.1 प्रारूप

फ़ीचर फ़िल्म: वीडियो/डिजिटल प्रारूप में प्रमाणित फ़िल्मों को डीसीपी (अनएन्क्रिप्टेड, डीसीआई कम्प्लायंट- जे2के), इंटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी में प्रस्तुत किया जा सकता है- नोट: जे2के इंटरोप डीसीपी केवल 24एफपीएस/ब्लूरे (रीजन फ़्री पीएएल) में दो डीवीडी प्रतियों के साथ होना चाहिए।

13.2

गैर-फ़ीचर फ़िल्म: वीडियो/डिजिटल प्रारूप में प्रमाणित फ़िल्मों को डीसीपी (अनएन्क्रिप्टेड, डीसीआई कम्प्लायंट- जे2के), इंटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी- नोट: जे2के इंटरोप डीसीपी को दो डीवीडी प्रतियों के साथ केवल 24एफपीएस/ब्लूरे (रीजन फ़्री पीएएल) या पेन ड्राइव (गैर-फ़ीचर फ़िल्म के मामले में) में प्रस्तुत किया जा सकता है।

14. निर्माता को अपनी प्रविष्टि, प्रविष्टि प्रपत्र में दो प्रतियों में भेजनी चाहिए। फॉर्म हर दृष्टि से पूर्ण होना चाहिए और उसके साथ पार्ट ब का खंड 3.3 (फ़ीचर फ़िल्म) एवं पार्ट सी का खंड 3 (गैर-फ़ीचर फ़िल्म) में उल्लिखित सभी दस्तावेज़ एवं सहायक सामग्री भेजी जानी चाहिए।

टिप्पणी क : निर्माता/निर्माण कंपनी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रविष्टि प्रपत्र में उल्लिखित नाम फ़िल्म में दिए गए क्रेडिट शीर्षक के समान ही हों। इस संबंध में निर्माता एक प्रमाण-पत्र भी जमा करें। राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार प्रकोष्ठ द्वारा इस शपथपत्र के जमा करने के उपरान्त इस मामले में किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा (फ़ीचर / गैर-फ़ीचर फ़िल्मों के लिए प्रवेश पत्र के लिए अनुलग्नक । देखें)।

टिप्पणी ख : प्रविष्टि प्रपत्र के कॉलम 14 में सूचना देते समय निर्माता/निर्माण कम्पनी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसमें डाक का पूरा पता ई-मेल का पता, टेलीफोन न., मोबाइल न., फैक्स संख्या (यदि कोई हो), दी गई है।

15. निम्नलिखित सामग्री उचित अंकन के साथ भेजी जानी चाहिए:-

- (क) 3 पोस्टर (थिएटर आकार के)
- (ख) ई-मेल द्वारा 30 से 60 सेकेंड का प्रोमो/ट्रेलर।
- (ग) प्रमुख कलाकारों तथा फ़िल्म में काम करने वाले अन्य तकनीशियनों इत्यादि के 02 उच्च रेज्यूल्यूशन तस्वीरें (उनके सम्पर्क विवरण के साथ)
- (घ) फ़िल्म की 5 तस्वीरें (600 डीपीआई या 15-20 एमबी) भी ई-मेल करें।
- (ङ) (i) ब्लूरे/डीसीपी/पेन ड्राइव (गैर-फ़ीचर फ़िल्मों के लिए) (ii) 2 डीवीडी
- (च) संवाद/अंग्रेजी उपशीर्षक सूची टाइम कोड सहित।
- (छ) 71वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार के लिए चयनित सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म और सर्वश्रेष्ठ गैर-फ़ीचर फ़िल्म भारतीय पैनोरमा के बाद के संस्करण में भी शामिल की जायेगी।
- (ज) फ़िल्मों के गीतों की डीवीडी, गीतों की मूल भाषा और उसके अंग्रेजी अनुवाद की एक-एक प्रति भी संगलन करें। इस पर संबंधित श्रेणी में पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

16. चयन पर विचार के लिए प्रस्तुत डीसीपी/ ब्लू रे/ पेन ड्राइव/ डीवीडी और अन्य सामग्री को भेजने का व्यय आवेदक को ही वहन करना होगा। सभी सामग्री कुरियर द्वारा भेजी जानी चाहिए। कृपया प्रविष्टि पत्र को प्रिन्ट बॉक्स में ना डालें।

17.1 अपात्रता

(क) यदि प्रिन्ट अथवा डीसीपी/ ब्लू रे/ पेन ड्राइव (वीडियो/डिजिटल प्रारूप में बनाए गए फ़ीचर फ़िल्मों के मामले में) डीसीपी/ब्लू रे/पेन ड्राइव (वीडियो/डिजिटल प्रारूप में बनाए गए गैर- फ़ीचर फ़िल्मों के लिए) निर्धारित तिथि तक प्राप्त ना हो।

(ख) आवेदक द्वारा समर्पित कोई भी घोषणा पत्र अवास्तविक पाया जाता है तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय को यह अधिकार है कि प्रविष्टि को अस्वीकृत करे या अंतिम परिणाम घोषणा के बाद फ़िल्म का चयन/पुरस्कार रद्द करें। ऐसे मामलों में जहां गलत या अवास्तविक घोषणा पत्र पाया जाता है, वहां आवेदक को मंत्रालय द्वारा आयोजित किसी भी आधिकारिक गतिविधि में भाग लेने से 3 वर्ष की अवधि के लिए बाधित किया जाएगा।

(ग) खंड 22.2 के उल्लंघन के मामले में प्रविष्टि/पुरस्कार अयोग्य/रद्द किए जाने योग्य होंगे।

17.2 सुरक्षित अधिकार:

(क) मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम के पास यह अधिकार निहित है कि वह अपने व्यय पर कोई भी भारतीय/विदेशी भाषा में फ़िल्मों का उपशीर्षक दे सकते हैं और अधिकार धारक को राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार की घोषणा के बाद भारत और विदेश में गैर वाणिज्यिक स्क्रीनिंग के लिए फ़िल्म की स्क्रिप्ट (ई एस टी) जल्द ही प्रस्तुत करना होगा।

(ख) निर्णायक मंडल की स्क्रीनिंग के लिए प्रस्तुत सभी पुरस्कार विजेता फ़िल्मों की प्रिन्ट/डीसीपी/ (अनएन्क्रिप्टड) / ब्लू रे/ पेन ड्राइव (गैर-फ़ीचर फ़िल्मों के लिए) को भारत और विदेश में गैर-वाणिज्यिक स्क्रीनिंग के लिए मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम द्वारा रखा जाएगा।

पुरस्कार समारोह

18.1 यह अत्यावश्यक है कि पुरस्कार विजेता स्वयं पुरस्कार प्राप्त करने आए। यदि किसी कारणवश पुरस्कार विजेता स्वयं पुरस्कार प्राप्त करने नहीं आ सकते तो पुरस्कार विजेता के किसी भी प्रतिनिधि को पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा। वह पुरस्कार विजेता या किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पत्र में निर्धारित तिथि पर प्राप्त किया जा सकता है।

18.2 यदि एक फ़िल्म के एक से अधिक निर्माता हैं तो निम्नलिखित नियम लागू होंगे:-

(क) केवल एक पदक प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार की राशि को सभी निर्माताओं में बराबर वितरित कर दिया जाएगा और सभी निर्माताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
(ख) केवल एक निर्माता को ही स्वयं तथा अन्य निर्माताओं का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मंच पर आमंत्रित किया जाएगा।

(ग) फ़िल्म की प्रविष्टि भेजते समय निर्माताओं को पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मंच पर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित निर्माता के नाम की घोषणा करनी होगी।

19. इन विनियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों तथा इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।

20. पुरस्कार के लिए प्रविष्टि भेजने वाले व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे ये विनियम स्वीकार है।

21. फ़िल्म प्रिंट के अतिरिक्त प्रविष्टि प्रपत्र, फ़िल्म प्रिन्ट, अन्य सामग्री/पुस्तकें/लेख और सभी पत्राचार निम्नलिखित को संबोधित किया जाना चाहिए:-

राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार प्रकोष्ठ

सूचना और प्रसारण मंत्रालय,

सिरी फोर्ट सभागार परिसर

अगस्त क्रांति मार्ग नई दिल्ली - 110049

दूरभाष नं. - 011-26499378/357

ई-मेल:71nfa2023@gmail.com,, बेवसाइट www.mib.gov.in

22. विवाद का समाधान

22.1 पुरस्कारों के मामले में यदि कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो उसे सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय इस मामले में अंतिम और बाध्यकारी होगा।

22.2 यदि फ़िल्म का निर्माता/अधिकार धारक, पुरस्कार विजेता या कोई कलाकार और कर्मी दल, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास जाने के बजाय सीधे अदालत में जाता है तो आवेदन को अयोग्य माना जाएगा। फ़िल्म को अयोग्य घोषित किया जा सकता है और घोषित / प्रदान किए गए पुरस्कार वापस लिए जा सकते हैं।

राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार निर्णायक मंडल

सामान्य

23.1 किसी व्यक्ति को निर्णायक मंडल की सदस्यता से तभी अयोग्य माना जाएगा जब कि स्वयं उसकी फ़िल्म की प्रविष्टि हुई हो। उसके निकट संबंधी की फ़िल्म प्रविष्टि होने के मामले में निर्णायक मंडल के सदस्य को फ़िल्म /पुस्तक/लेखन के पूर्वावलोकन/निर्णय में सम्मिलित न होने का अधिकार होगा।

23.2 निर्णायक मंडल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अनुसूची V में दिए गए प्रपत्र में लिखित घोषणा करनी होगी।

23.3 निर्णायक मंडल के सदस्य (केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय मंडलों के सदस्यों सहित), विभिन्न वर्गों के पुरस्कारों के निर्णय संबंधी चर्चा/सिफारिश को गोपनीय बनाए रखेंगे। निर्णायक मंडल के किसी भी सदस्य द्वारा इसका उल्लंघन करने पर उन्हें जीवन भर के लिए राष्ट्रीय फ़िल्म

पुरस्कार/ भारतीय पैनोरमा/ भारत का अंतराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के निर्णायक मंडल का सदस्य बनाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

23.4 निर्णायक मंडल अपने विवेक से यह सिफारिश कर सकेंगे कि किसी श्रेणी विशेष में पुरस्कार नहीं दिया जाए, यदि उन्हें लगे कि उस श्रेणी में प्रविष्टियां अपेक्षित स्तर की नहीं हैं।

23.5 जूरी सिफारिश करेगा जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होगा और मंत्रालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और उनके फैसले के संबंध में अपील या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

23.6 राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार प्रकोष्ठ का प्रतिनिधि निर्णायक मंडलों की बैठकों में उपस्थित रहेगा ताकि वे/वह जानकारी/स्पष्टीकरण दे सके जो निर्णायक मंडल मांगे लेकिन वह बैठकों में भाग नहीं ले सकेगा।

चयन प्रक्रिया

24. फ़ीचर फिल्म

24.1 विनियम की अनुसूची-1 में निर्दिष्ट विभिन्न वर्गों के पुरस्कारों का चयन करने के लिए द्विस्तरीय प्रणाली (यथा-क्षेत्रीय निर्णायक मंडल तथा केन्द्रीय निर्णायक मंडल) होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय विधिवत रूप से केन्द्रीय निर्णायक मंडल तथा पांच क्षेत्रीय निर्णायक मंडलों का गठन करेगी, जिसमें सिनेमा, अन्य कलाओं तथा मानविकी के क्षेत्र में विख्यात व्यक्तियों को शामिल किया जाता है।

(क) क्षेत्रीय निर्णायक मंडल

(i) पांच क्षेत्रीय निर्णायक मंडल निम्नानुसार होंगे:-

उत्तर पैनल

हिन्दी, पंजाबी, डोगरी, भोजपुरी, राजस्थानी, उर्दू, अंग्रेजी तथा केन्द्रीय भारतीय भाषाओं की फ़िल्मों के लिए एक पैनल।

पश्चिम पैनल:

मराठी, गुजराती तथा कोंकणी भाषाओं की फ़िल्मों के लिए एक पैनल।

दक्षिण I पैनल:

तमिल और मलयालम भाषाओं की फ़िल्मों के लिए एक पैनल।

दक्षिण II पैनल:

कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं की फ़िल्मों के लिए एक पैनल।

पूर्व पैनल:

बांग्ला, असमिया, उडिया, मणीपुरी और पूर्वोत्तर में बोली जाने वाली बोलियों की फ़िल्मों के लिए एक पैनल।

(ii) प्रत्येक क्षेत्रीय पैनल में एक अध्यक्ष एवं एक सदस्य (दोनों को क्षेत्र के बाहर से चयनित किया जाएगा) तथा तीन अन्य सदस्य क्षेत्र में रहने वाले होंगे

(iv) क्षेत्रीय निर्णायक मंडल को पुरस्कार की सिफारिश करने का अधिकार होगा जिसके लिए फ़िल्म विशेष पर विचार किया जाए।

(v) निर्णायक मंडल के लिए यह अनिवार्य है कि वह किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले फ़िल्म को पूर्णतया देख लें।

(vi) क्षेत्रीय जूरी दिल्ली में फ़िल्मों का पूर्वावलोकन करेगी और चयन के अगले स्तर यानी फ़ीचर फ़िल्म के लिए केंद्रीय जूरी के लिए फ़िल्मों की सिफारिश करेगी।

(ख) केन्द्रीय निर्णायक मंडल

(i) केन्द्रीय निर्णायक मंडल में एक अध्यक्ष एवं दस सदस्य होंगे। क्षेत्रीय पैनल का कोई अध्यक्ष/सदस्य केंद्रीय मंडल में नहीं होगा।

(ii) बैठक दिल्ली में होगी।

(iii) केन्द्रीय निर्णायक मंडल पुरस्कारों के विभिन्न वर्गों, जैसा कि विनियम की अनुसूची-i में निर्दिष्ट है, जो कि क्षेत्रीय निर्णायक मंडलों की सिफारिश पर आधारित है, के लिए शीर्षस्थ संस्था होगी।

(iv) यद्यपि, केन्द्रीय निर्णायक मंडल के पास क्षेत्रीय निर्णायक मंडल द्वारा अनुशंसित नहीं की गई फ़िल्मों में से एक फ़िल्म को शामिल करने का अधिकार होगा बशर्ते कि केन्द्रीय निर्णायक मंडल (केन्द्रीय निर्णायक मंडल के अध्यक्ष सहित) के पांच सदस्य उस फ़िल्म को शामिल करने हेतु लिखित में अपनी सहमति दें।

24.2 क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय निर्णायक मंडल अपनी कार्य प्रणाली का स्वतः निर्धारण करेंगे।

24.3 निर्णायक मंडल के अध्यक्ष, जब भी आवश्यक हो, विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं।

24.4 संविधान की अनुसूची VIII में विनिदष्ट प्रत्येक भाषा के लिए सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म श्रेणी और अनुसूची VIII में सूचीबद्ध नहीं की गई भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म श्रेणी के संबंध में, जूरी द्वारा केवल उन पुरस्कारों के लिए सबसे योग्य फ़िल्मों की सिफारिश की जा सकती है जो उच्च सौंदर्य मूल्य के हैं और कलात्मक उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई पुरस्कार योग्य फ़िल्म नहीं है, तो पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए।

24.5 प्रत्येक श्रेणी में केवल एक पुरस्कार दिया जा सकता है। पुरस्कारों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए साझा पुरस्कार केवल असाधारण परिस्थितियों में दिए जा सकते हैं।

24.6 अनुसूची VIII में प्रत्येक भाषा में और संविधान की अनुसूची VIII में विनिदष्ट श्रेणियों के अलावा प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म की श्रेणियों को राष्ट्रीय और समग्र सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म पुरस्कार से अलग करने की आवश्यकता है। इसलिए, इस श्रेणी के पुरस्कारों का नाम बदलकर सर्वश्रेष्ठ (भाषा) फ़ीचर फ़िल्म रखा जा सकता है।

25. गैर फ़ीचर फ़िल्म

25.1 गैर फ़ीचर फ़िल्म निर्णायक मंडल में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम छः सदस्य होंगे जो कि सिनेमा, अन्य कलाओं तथा मानविकी के क्षेत्र में विख्यात व्यक्ति होते हैं। गैर-फ़ीचर फ़िल्मों के निर्णायक मंडल का अध्यक्ष निर्णायक मंडल के सदस्यों में से अधिकतम दो पैनल बना सकता है।

25.2 प्रत्येक पैनल, उनके द्वारा अवलोकित फ़िल्म में से अधिक से अधिक 30 प्रतिशत फ़िल्मों को पूर्ण निर्णायक मंडल के समक्ष संयुक्त अवलोकन हेतु रखने की सिफारिश कर सकेगा। गैर-फ़ीचर फ़िल्म निर्णायक मंडल, पैनलों में फ़िल्मों के प्रदर्शन से पहले यह तय करेगा कि कुल शामिल फ़िल्मों में से कितनी प्रतिशत फ़िल्मों को पुनः प्रदर्शन हेतु रखा जाए।

25.3 गैर फ़ीचर फ़िल्म निर्णायक मंडल अपने कार्य प्रणाली का स्वयं निर्धारण करेंगे। निर्णायक मंडल के अध्यक्ष, जब भी आवश्यक हो, विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं।

26. सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन

26.1 पुरस्कारों का निर्णय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विधिवत रूप से गठित सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए एक जूरी द्वारा किया जाएगा। जूरी में अध्यक्ष सहित तीन (3) सदस्य शामिल होंगे, जो साहित्य या पत्रकारिता या सिनेमा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित होंगे और उनके नाम पर कम से कम एक पुस्तक प्रकाशित होनी चाहिए या नियमित पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में लिखित आलोचनात्मक विश्लेषण होना चाहिए जो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स इंडिया (आरएनआई) और डिजिटल मीडिया के साथ पंजीकृत 'आईटी नियम, 2021' के अनुरूप हों। यानी, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021

27. गणपूर्ति

निर्णायक मंडल की अंतिम बैठक में गणपूर्ति निम्नानुसार होगी:

फ़ीचर फिल्म: क्षेत्रीय निर्णायक मंडल: 3 सदस्य +अध्यक्ष,

केंद्रीय निर्णायक मंडल: 9 सदस्य +अध्यक्ष,

गैर-फ़ीचर फिल्म: 5 सदस्य +अध्यक्ष

तथा सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन: 1 सदस्य +अध्यक्ष

भाग ख
फ़ीचर फ़िल्म विनियम

फ़्रीचर फ़िल्म विनियम

1. पुरस्कार

1. फ़्रीचर फ़िल्म वर्ग में दिए गए जानेवाले पुरस्कार इन विनियमों की अनुसूची 1 में दिए गए हैं। यदि एक फ़िल्म अनुसूची 1 की (i) से (vi), (xxv) से (xxvi) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी में एक से ज्यादा पुरस्कारों के लिए अर्हक होती है तो फ़िल्म के निर्माता और/या निर्देशक को उस हैसियत में केवल उच्चतर पुरस्कार ही मिलेगा। उच्चतर पुरस्कार नकद घटक के अनुसार ही निश्चित किया जाएगा। तथापि यह निर्माता और/या निर्देशक को अन्य फ़िल्मों के लिए पुरस्कार जीतने से वंचित नहीं करेगा।

2. पात्रता

2.1 किसी भी भारतीय भाषा में बनाई गई फ़िल्में, डिजिटल प्रारूप पर शूट की गई और फ़िल्म प्रारूप या वीडियो / डिजिटल प्रारूप पर जारी की गई और फ़्रीचर फ़िल्मों के रूप में केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा प्रमाणित फ़िल्में फ़्रीचर फ़िल्म अनुभाग के लिए पात्र हैं। वीडियो/डिजिटल प्रारूप में प्रमाणित फ़िल्मों को क्षेत्रीय और केंद्रीय दोनों जूरी द्वारा देखने के उद्देश्य से डीसीपी (अनएन्क्रिप्टेड, डीसीआई कम्प्लायंट- जे2के), इंटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी- नोट: जे2के इंटरोप डीसीपी को केवल 24एफपीएस/ब्लूरे (क्षेत्र मुक्त पीएएल) में प्रस्तुत किया जा सकता है।

चयन हेतु भेजी गई फ़िल्म सेंसर प्रमाणपत्र सहित होनी चाहिए।

2.2 सर्वश्रेष्ठ बाल कथाचित्र के पुरस्कार के संबंध में केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा बाल फ़िल्म के रूप में प्रमाणित फ़िल्मों के अतिरिक्त निर्णायक मंडल द्वारा विचाराधीन बाल फ़िल्में भी प्रतियोगिता में शामिल की जाएंगी।

2.3 किसी भी भारतीय भाषा से भारतीय संघ के राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सभी अधिकारिक भाषाएं, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी भारतीय भाषाएं तथा देश में प्रचलित अन्य बोलियां शामिल हैं। निर्माताओं को संबंधित क्षेत्र के जिलाधिकारी/ जिलाधीश या गृहसचिव से बोली के प्रचलन के बारे में प्रमाणपत्र देना होगा।

2.4 मूक फ़िल्में भी पात्रता रखेंगी।

3. फ़िल्म की प्रविष्टि प्रक्रिया

3.1 फ़िल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (एफएफआई) को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फ़िल्म (एसआई) के पुरस्कार के लिए फ़िल्मों को नामांकित करने का अधिकार होगा। (iii) अनुसूची-1 की धारा (iii) एफएफआई इस पुरस्कार के लिए अधिकतम 10 फ़िल्मों को नामित करेगा। इस उद्देश्य के लिए, भारतीय फ़िल्म महासंघ राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार प्रकोष्ठ को अनुशंसित फ़िल्मों की सूची अग्रेषित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित निर्माता अधिसूचना की तारीख से अंतिम तिथि 18 सितंबर (शाम 5.00 बजे तक) को या उससे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरें और फ़िल्म के डीसीपी/ब्लूरे और डीवीडी और विनियमन में संदर्भित सामग्री/सूचना भेजें। अधिसूचना की तिथि से अंतिम तिथि 25 सितंबर के भीतर या उससे पहले। इस पुरस्कार के लिए जूरी का चयन एफएफआई द्वारा की गई फ़िल्मों के नामांकन तक सीमित नहीं होगा। कोई अन्य प्रविष्टि भी इस पुरस्कार के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र होगी। इस श्रेणी के तहत एफएफआई द्वारा नामित फ़िल्में अन्य सभी पुरस्कारों के लिए भी पात्र होंगी।

3.2 निर्माता (ओं) द्वारा निर्धारित ऑनलाइन प्रविष्टि प्रपत्र- प्रपत्र एनएफए-I के साथ प्रपत्र एनएफए-II और III पर आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2023 का प्रपत्र और विनियम निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है : www.mib.gov.in.

3.3 सारांश, फ़िल्म के निर्देशक, फ़िल्म के दृश्य और फ़िल्म के ट्रेलर को अनिवार्य रूप से डीवीडी फॉर्मेट/पेन ड्राइव में प्रवेश पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अन्यथा राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार प्रकोष्ठ को यह अधिकार कि आवेदन को अस्वीकार करे। प्रत्येक प्रवेश पत्र नीचे दी गई सामग्री के साथ प्रस्तुत करें। (प्रत्येक की एक सॉफ्ट कॉपी भी भेजी जाए):

71nfa2023@gmail.com

- (1) (क) राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार प्रकोष्ठ हेतु प्राधिकार पत्र
- (ख) कथासार (250 शब्दों से कम)
- (ग) केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की दो प्रमाणित प्रतियां।
- (घ) शपथ पत्र (अनुलग्नक I)
- (ङ) भारत सरकार द्वारा जारी आवेदक की फोटो आईडी की स्वयं सत्यापित प्रति (अनिवार्य)

(2) (क) प्रत्येक फ़िल्म प्रविष्टि से संबंधित सभी दस्तावेज और विवरण (विशेष रूप से सारांश (250 शब्दों से अधिक नहीं), निर्माता और निर्देशक के प्रोफाइल, सभी गायकों, अभिनेताओं, प्रत्येक सहायक अभिनेता द्वारा निभाई गई भूमिका, सभी गीतों के बोल का अनुवाद, प्रत्येक गीत के लिए गायकों और गीतकारों के नाम, प्रत्येक गीत के कोरियोग्राफर और अन्य तकनीशियन आदि) 71nfa2023@gmail.com को ईमेल किए जाने चाहिए।

(ख) फ़िल्मों के गीतों की डीवीडी, गीतों की मूल भाषा एवं उसके अंग्रेजी अनुवाद की एक-एक प्रति भी संलग्न करें। इस पर संबंधित श्रेणी में पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

(ग) फ़ीचर फ़िल्मों के लिए 11,800/-: 18% जीएसटी सहित एक नॉन रीफंडेबिल प्रविष्टि शुल्क ऑनलाइन प्रविष्टि फॉर्म जमा करने के समय ऑनलाइन भेजा जाना चाहिए।

(घ) फ़िल्म का प्रिंट (वीडियो/डिजिटल प्रारूप में फिल्मों के मामले में डीसीपी/ब्लूरे)। डिजिटल प्रारूप में प्रमाणित फिल्मों को डीसीपी (अनएन्क्रिप्टेड, डीसीआई कम्प्लायंट - जे 2 के, इंटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी में प्रस्तुत किया जा सकता है - नोट: जे 2 के इंटरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस में होना चाहिए / ब्लूरे (क्षेत्र मुक्त पीएएल) 2 डीवीडी प्रतियों के साथ।

पुरस्कारों की श्रेणियाँ
अनुसूची 1

क्र. सं.	पुरस्कार श्रेणी	प्रस्तावित पुरस्कार राशि एवं पदक
I.	सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म	निर्माता - स्वर्ण कमल और 3,00,000 रुपये निर्देशक - स्वर्ण कमल और 3,00,000 रुपये
II.	निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फ़िल्म	निर्देशक - स्वर्ण कमल और 3,00,000 रुपये
III.	संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फ़िल्म का पुरस्कार	निर्माता - स्वर्ण कमल और 3,00,000 रुपये निर्देशक - स्वर्ण कमल और 3,00,000 रुपये
IV.	राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म	निर्माता - रजत कमल और 2,00,000 रुपये निर्देशक - रजत कमल और 2,00,000 रुपये
V.	सर्वश्रेष्ठ बाल फ़िल्म	निर्माता - स्वर्ण कमल और 3,00,000 रुपये निर्देशक - स्वर्ण कमल और 3,00,000 रुपये

VI.	<p>एवीजीसी में सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म</p> <p>i. (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक)</p> <p>सर्वश्रेष्ठ एनीमेशन फ़िल्म</p>	<p>i. निर्माता - स्वर्ण कमल और 3,00,000 रुपये</p> <p>निर्देशक - स्वर्ण कमल और 3,00,000 रुपये</p> <p>ii. एनिमेटर/एनीमेशन निर्देशक/डिजाइनर/पर्यवेक्षक स्वर्ण कमल और रुपये .3,00,000</p> <p>iii. सर्वश्रेष्ठ वीएफएक्स पर्यवेक्षक - रजत कमल और 2,00,000 रुपये</p>
VII.	सर्वश्रेष्ठ निर्देशन	निर्देशक - स्वर्ण कमल और 3,00,000 रुपये
VIII.	मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता	अभिनेता - रजत कमल और 2,00,000 रुपये
IX.	मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री	अभिनेत्री - रजत कमल और 2,00,000 रुपये
X.	सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता	सह-अभिनेता - रजत कमल और 2,00,000 रुपये
XI.	सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री	सह-अभिनेता - रजत कमल और 2,00,000 रुपये
XII.	सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार	बाल कलाकार - रजत कमल और 2,00,000 रुपये
XIII.	सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक	पार्श्व गायक - रजत कमल और 2,00,000 रुपये

XIV.	सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका	पार्श्व गायिका - रजत कमल और 2,00,000 रुपये
XV.	सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी	सिनेमैटोग्राफर - रजत कमल और 2,00,000 रुपये
XVI.	सर्वश्रेष्ठ पटकथा i. सर्वश्रेष्ठ पटकथा (मौलिक) ii. सर्वश्रेष्ठ पटकथा (रूपांतरित) iii. सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक	पटकथा लेखक (मौलिक) - रजत कमल और 2,00,000 रुपये पटकथा लेखक (रूपांतरित) - रजत कमल और 2,00,000 रुपये संवाद लेखक - रजत कमल और 2,00,000 रुपये
XVII.	सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिज़ाइन	रजत कमल और 2,00,000 रुपये
XVIII.	सर्वश्रेष्ठ संपादन	संपादक - रजत कमल और 2,00,000 रुपये
XIX.	सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिज़ाइन	प्रोडक्शन डिज़ाइनर - रजत कमल और 2,00,000 रुपये
XX.	सर्वश्रेष्ठ वेशभूषाकार	वेशभूषाकार - रजत कमल और 2,00,000 रुपये
XXI.	सर्वश्रेष्ठ मेकअप कलाकार	मेकअप कलाकार - रजत कमल और 2,00,000 रुपये

<p>KXII.</p>	<p>सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन</p> <p>i. सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक (गीत)</p> <p>ii. सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड संगीत</p>	<p>i. संगीत निर्देशक (गीत) - रजत कमल और 2,00,000 रुपये</p> <p>ii.संगीत निर्देशक (बैकग्राउंड संगीत) - रजत कमल और 2,00,000 रुपये</p>
<p>XIII.</p>	<p>सर्वश्रेष्ठ गीत</p>	<p>गीतकार - रजत कमल और 2,00,000 रुपये</p>
<p>XIV.</p>	<p>सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला</p>	<p>नृत्य संयोजक - रजत कमल और 2,00,000 रुपये</p>
<p>KXV.</p>	<p>सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन (स्टंट कोरियोग्राफी)</p>	<p>स्टंट कोरियोग्राफर - रजत कमल और 2,00,000 रुपये</p>
<p>XVI.</p>	<p>संविधान की अनुसूची आठवीं में विनिर्दिष्ट प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म</p>	<p>निर्माता - रजत कमल और 2,00,000 रुपये</p> <p>निर्देशक - रजत कमल और 2,00,000 रुपये</p> <p>(पुरस्कार केवल तभी दिया जा सकता है जब कोई फ़िल्म उपयुक्त पाई जाए और राष्ट्रीय पुरस्कार के योग्य हो।)</p>
<p>KVII.</p>	<p>संविधान की अनुसूची आठवीं में विनिर्दिष्ट भाषाओं के अलावा प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म</p>	<p>निर्माता - रजत कमल और 2,00,000 रुपये</p> <p>निर्देशक - रजत कमल और 2,00,000 रुपये</p> <p>(पुरस्कार केवल तभी दिया जा सकता है जब कोई फ़िल्म उपयुक्त पाई जाए और राष्ट्रीय पुरस्कार के योग्य हो।)</p>

नोट: विशेष उल्लेख

निर्णायक मंडल द्वारा विशेष उल्लेख हो सकता है। पूरे फ़ीचर फ़िल्म वर्ग में अधिकतम 2 विशेष उल्लेख हो सकते हैं जो निर्णायक मंडल के विवेक पर किसी उपयुक्त फ़िल्म या किसी ऐसे व्यक्ति को दिए जा सकते हैं जो पहले से ही पुरस्कारों में शामिल नहीं है। ऐसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।

71 वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार-2023

प्रविष्टि प्रपत्र फ़ीचर फ़िल्म हेतु

टिप्पणी: I. इस प्रपत्र को भरने में अत्यधिक सावधानी बरतें। आवेदन पत्र के प्रत्येक कॉलम में प्रविष्टि किया गया विवरण पुरस्कार के लिए अंतिम माना जाएगा, इसमें किसी भी स्तर पर कोई भी विवरण बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

II. निर्माता/निर्माण कंपनी यह सुनिश्चित करें कि प्रविष्टि पत्र में दिये गये नाम फ़िल्म में दिये गये क्रेडिट टाइटल्स के अनुरूप ही हों।

III. प्रविष्टि प्रपत्र के कॉलम 14 में सूचना देते समय निर्माता/निर्माण कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसमें उसका पूरा पता, ई-मेल, टेलीफोन नंबर (निश्चित संख्या और मोबाइल नंबर) दिया जाए।

1. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर (शाम 5.00 बजे तक) है और आवश्यक सामग्री के साथ जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2024 होगी। (नोट: आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के दोनों संस्करण समान होने चाहिए)।

1. फ़िल्म का शीर्षक:

(क) रोमन लिपि में

(ख) देवनागरी लिपि में

(ग) फ़िल्म शीर्षक का अंग्रेजी अनुवाद

2. भाषा: (यदि फ़िल्म में संवाद न हों तो इंगित करें) :

3. क्या फ़िल्म का उपशीर्षक अंग्रेजी में है:
4. क्या यह निर्देशक की पहली फ़िल्म है: हां /नहीं
5. फ़िल्म की कितने समय की है (मिनट में)
6. प्रारूप:
 - (क) डीसीपी/ ब्लूरे/
 - (ख) आस्पेक्ट अनुपात:
 - (ग) साउंड सिस्टम: ऑप्टिकल मोनो / डॉल्बी / डीटीएस या अन्य
7. रंगीन/श्वेत-श्याम
8. सेंसर प्रमाणपत्र की संख्या तथा तारीख
 - (क) सेंसर प्रमाणपत्र संख्या
 - (ख) सेंसर प्रमाणन तिथि
9. कंपनी का पंजीकरण विवरण
 - (i) कंपनी पंजीकरण विवरण
10. शीर्षक का पंजीकरण विवरण
 - (i) शीर्षक पंजीकरण विवरण
11. निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम, पता, तथा टेलीफोन नं.

(i) निर्माता का विवरण

नाम	संपर्क	ईमेल आईडी	राष्ट्रीयता	निर्माता जो पुरस्कार प्राप्त करेंगे	भारत सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
-----	--------	-----------	-------------	-------------------------------------	--

(ii) निर्देशक का विवरण

नाम	संपर्क	ईमेल आईडी	राष्ट्रीयता	भारत सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
-----	--------	-----------	-------------	--

12. पटकथा लेखक:

- (1) मौलिक पटकथा लेखक
- (2) रूपान्तरित पटकथा लेखक
- (3) संवाद लेखक:

कृपया रूपांतरित पटकथा के लिए निम्नलिखित का उल्लेख/जमा करें:-

1. मूल कहानी के लेखक नाम
2. मूल रचना की एक प्रति

3. क्या रचना का स्वामित्व सार्वजनिक है

हां/नहीं

13. उपरोक्त जानकारी और दस्तावेजों के बिना, फ़िल्म पर इस विशेष पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(क)संवाद:

(i)मुख्य अभिनेता

(ii) नाम : (iii)स्क्रीन
का

नाम

ध्वनी -मूल/डब

नोट: किसी अन्य कलाकार द्वारा संवादों की डबिंग अनुसूची I के एसआई (x) में पुरस्कार के लिए प्रविष्टि को अयोग्य बना देगी।

(ख) मुख्य अभिनेत्री

(ii)
नाम :

(iii) स्क्रीन का नाम:

ध्वनी -मूल/डब

नोट: किसी अन्य कलाकार द्वारा संवादों की डबिंग अनुसूची I के क्रमांक (xi) में पुरस्कार के लिए प्रविष्टि को अयोग्य बना देगी।

(ग) सहायक अभिनेता:

(ii) नाम :

(iii) स्क्रीन का

नाम:

ध्वनी -मूल/डब

नोट: किसी अन्य कलाकार द्वारा संवादों की डबिंग अनुसूची I के क्रम (xii) में प्रविष्टि को पुरस्कार के लिए अयोग्य बना देगी।

(घ) सहायक भूमिका में

अभिनेत्री:

(i) नाम:

(ii) स्क्रीन का नाम:

ध्वनी -मूल/डब

नोट: किसी अन्य कलाकार द्वारा संवादों की डबिंग अनुसूची I के क्रम (xiii) में प्रविष्टि को पुरस्कार के लिए अयोग्य बना देगी।

(ड़) बाल कलाकार
ध्वनी -मूल/डब

: (i) नाम:

(ii) स्क्रीन नाम:

नोट: किसी अन्य कलाकार द्वारा संवादों की डबिंग अनुसूची I के क्रम (xiv) में प्रविष्टि को पुरस्कार के लिए अयोग्य बना देगी।

(च) सिनेमैटोग्राफर: नोट: कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या फ़िल्म मूल रूप से डिजिटल / वीडियो प्रारूप पर शूट की गई थी।

(छ)स्टंट कोरियोग्राफर:

(ज) ध्वनि आलेखक:

(झ) सम्पादक:

(ञ) प्रोडक्शन डिज़ाइनर:

(ट) वेशभूषाकार:

(ठ) श्रृंगार निर्देशक:

(ठ) संगीत निर्देशक

(ड) संगीत निर्देशक (गीत)

(प्रत्येक गीत के लिए अलग अलग उल्लेख करें),

(ढ) बैकग्राउंड संगीत

(ण) गीतकार: (प्रत्येक गीत के लिए अलग अलग उल्लेख करें),

(त) पार्श्व गायक: (प्रत्येक गीत के लिए पार्श्व गायक का नाम अलग अलग उल्लेख करें)

(थ) पार्श्व गायिका: (प्रत्येक गीत के लिए पार्श्व गायिका का नाम अलग अलग उल्लेख करें)

(द) ऐनिमेटर/डिज़ाइनर/सुपरवाइज़र (एवीजीसी फ़िल्म के मामले में):

(ध) वीएफएक्स क्रिएटर

(न) कोरियोग्राफ़र

14. फ़िल्म का डीसीपी/ब्लूरे निम्नलिखित पते पर वापिस भेजा जाए:

नाम:

कार्यालय: डाक का पता (पिन कोड सहित):

दूरभाष :

मोबाइल:

फैक्स:

ई-मेल:

वेबसाइट:

15. प्रविष्टि शुल्क की ऑनलाइन प्रस्तुति के ब्यौरे:

(क) भुगतान तिथि

(ख) शुल्क रुपये.

(ग) रसीद संख्या / भुगतान का विवरण

(घ) भुगतान की रसीद संलग्न करें (स्कैन कॉपी)

16. राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम के पक्ष में प्राधिकार पत्र संलग्न है: हां/ नहीं

(क) मुझे/हमें इस फ़िल्म को जूरी या उनके किसी पैनल के लिए प्रदर्शित करने, भारत और विदेश में गुणवत्तापूर्ण भारतीय सिनेमा के संवर्धन के भाग के रूप में राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम द्वारा किसी भी प्रारूप (प्रिंट या डिजिटल) में आयोजित/समर्थित विशेष प्रदर्शनी के साथ-साथ फ़िल्म स्टिल/पोस्टर और ट्रेलर/विजुअल क्लिप के उपयोग के माध्यम से फ़िल्म के प्रचार के भाग के रूप में फ़िल्म के गैर-वाणिज्यिक सार्वजनिक शो के लिए कोई आपत्ति नहीं है। मैं/हम यह भी आश्वासन देते हैं कि एनएफडीसी के लिए यह अनापत्ति भविष्य में वाणिज्यिक/गैर-वाणिज्यिक आधार पर किसी भी क्षेत्र में फ़िल्म की स्क्रीनिंग के लिए मेरे/हमारे द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/संगठन को सौंपे गए अधिकारों के बावजूद वैध रहेगी। राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम के पास अपनी लागत पर किसी भी भारतीय/विदेशी भाषा में फ़िल्मों का उपशीर्षक लिखने का अधिकार सुरक्षित है और भारत और विदेशों में गैर-वाणिज्यिक स्क्रीनिंग के लिए राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों की घोषणा के तुरंत बाद सही धारक को फ़िल्म की स्क्रिप्ट (ईएसटी) प्रस्तुत करनी होगी।

(ख) निर्णायक मंडल की स्क्रीनिंग के लिए प्रस्तुत सभी पुरस्कार विजेता फ़िल्मों की प्रिन्ट/डीसीपी (अनएन्क्रिप्टेड)/ब्लू रे भारत और विदेश में गैरवाणिज्यिक स्क्रीनिंग के लिए राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम द्वारा रखा जाएगा।

17. (क) मैंने/हमने राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार विनियम देख लिए हैं और मैं/ हम इन विनियमों को स्वीकार करते हैं।

(ख) निर्णायक मंडल सिफारिश करेगा, जिसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और मंत्रालय के निर्णय को अंतिम तथा बाध्यकारी माना जाएगा।

(ग) मैं/हम मंत्रालय के निर्णय को अंतिम और बाध्यकारी मानने के लिए सहमत हैं।

(घ) मंत्रालय का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी माना जाएगा और मैं/हम निर्णायक मंडल के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील अथवा पत्राचार नहीं करेंगे।

18. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि प्रयुक्त संगीत मौलिक है

19. साथ ही यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि फ़िल्म किसी भी रूपरेखा में भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 का उल्लंघन नहीं करती।

20. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त दी गई सूचनाएं मेरी/ हमारी जानकारी के अनुसार ठीक हैं तथा कथित फ़िल्म के नामोल्लेख के अनुकूल हैं। मैं/ हम यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार प्रकोष्ठ को यह पूर्ण अधिकार है कि यदि उन्हें लगे कि प्रविष्टि में प्रदत्त सूचनाएं, अधूरी या गलत हैं तो उसे किसी भी स्तर पर अस्वीकार कर सकते हैं।

हस्ताक्षर

(मुहर):

तारीख:

प्रविष्टि भेजने वाले व्यक्ति का नाम, पूरा नाम, पता तथा टेलीफोन नं.

पता:

टेलीफोन नं. (कार्यालय) (निवास) मोबाइल:

फैक्स: ईमेल:

71वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2023

जांच सूची

1. ऑनलाइन प्रविष्टि प्रपत्र की हार्ड कॉपी (दो प्रतियां)
2. ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टि शुल्क (फ़ीचर फ़िल्म के लिए 18% जीएसटी सहित 11,800/- रुपये.)
3. भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम हेतु प्राधिकार पत्र
4. शपथ-पत्र (अनुलग्नक 1)
5. केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड का प्रमाण पत्र
6. भारत सरकार द्वारा जारी आवेदक की फोटो आईडी या आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति (अनिवार्य)।
7. डीसीपी/ब्लूरे/प्रिंट और डीवीडी
8. ऑडियो सीडी
9. गीत की मूल भाषा की एक प्रति एवं उसका अंग्रेज़ी अनुवाद।
10. कथासार, निर्देशक की फोटो, फ़िल्म की तस्वीरें और फ़िल्म का ट्रेलर अनिवार्यता डीवीडी/पेन ड्राइव के साथ ई-मेल 71nfa2023@gmail.com के जरिए भी जमा किया जाए।

71 वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार विनियम 2023

शपथ-पत्र

(फ़ीचर फ़िल्म हेतु)

(20 रुपये या अधिक के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें)

फ़िल्म का शीर्षक

मैं घोषणा करता हूँ कि:

- (1) प्रविष्टि प्रपत्र तथा अन्य प्रपत्रों में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही हैं।
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि प्रविष्टि प्रपत्र में उल्लिखित नाम क्रेडिट शीर्षक में दिए गए नामों के समान ही हैं।
- (3) प्रमाणित किया जाता है कि प्रयुक्त संगीत मौलिक है।
- (4) प्रस्तुत की गई फ़िल्म का प्रिंट/वीडियो, 2023 में सीबीएफसी द्वारा 2023 में जारी प्रमाण पत्र के साथ प्रमाणित संस्करण या सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम 2024 के नियम 31 के तहत बदली गई फ़िल्म के लिए सीबीएफसी द्वारा किए गए समर्थन का प्रतिनिधित्व करती है।
- (5) यह घोषित किया जाता है कि फ़ीचर फ़िल्म को राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों के किसी अन्य संस्करण में, किसी अन्य भाषा में लागू नहीं किया गया है।
- (6) एक बार फ़िल्म राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों के लिए प्रस्तुत हो जाने के बाद, इसे राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा तक किसी भी रूप में संशोधित/परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (7) यह प्रमाणित है कि फ़िल्म ___ भाषा संख्याओं में है और _____ संस्करणों को सीबीएफसी से प्रमाणन प्राप्त हुआ है।
- (8) मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि हमारे प्रविष्टि/पुरस्कार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा रद्द किया जा सकता है, यदि हमारे या किसी कलाकार/ कर्मीदल द्वारा पुरस्कार के लिए कोई दावा किया जाता है, जिसे फ़िल्म के शीर्षक में श्रेय नहीं दिया गया है।
- (9) हम इस बात से सहमत हैं कि भाग क के खंड 22.2 के उल्लंघन के मामले में प्रविष्टि/पुरस्कार अयोग्य/रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

निर्माता का नाम _____

पता _____

मोबाइल _____

दूरभाष _____

भाग स
गैर फ़्रीचर फ़िल्म विनियम

गैर फ़्रीचर फ़िल्म विनियम

1. पुरस्कार

1. गैर फ़्रीचर फ़िल्म वर्ग के अंतर्गत दिए जाने वाले पुरस्कार अनुसूची-11 में दिए गए हैं। यदि एक फ़िल्म अनुसूची 11 के (i) से (x) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी में एक से ज्यादा पुरस्कारों के लिए अर्हक होती है तो फ़िल्म के निर्माता और/या निर्देशक को उस हैसियत में केवल उच्चतर पुरस्कार ही मिलेगा। उच्चतर पुरस्कार नकद घटक के अनुसार ही निश्चित किया जाएगा। तथापि यह निर्माता और/या निर्देशक को अन्य फ़िल्मों के लिए पुरस्कार जीतने से वंचित नहीं करेगा।

पात्रता

2.1 भारत में स्थित फ़िल्म संस्थानों के विदेशी छात्रों द्वारा निर्देशित गैर फ़्रीचर फ़िल्मों में प्रविष्टि के लिए पात्र होंगी यदि उनकी प्रविष्टियां संबंधित संस्थानों के माध्यम से भेजी गई हों।

2.2 डिजिटल प्रारूप में बनी किन्तु फ़िल्म प्रारूप अथवा वीडियो/डिजिटल प्रारूप में जारी किसी भी भारतीय भाषा में बनी और केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा वृत्त-चित्र/न्यूजरील/गैर-कथाचित्र/ लघु कल्पित के रूप में प्रमाणीकृत फ़िल्म गैर फ़्रीचर फ़िल्म वर्ग के लिए पात्र है।

2.3 डिजिटल प्रारूप में प्रमाणित फिल्मों को डीसीपी (अनक्रिपटिड, डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट-जे2के, इन्टरोप या एसएमपीटीई डीसीपी-नोट: जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रीजन फ्री पीएएल)/डीवी कैम प्रारूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। चयन हेतु भेजी गई फ़िल्म सेंसर प्रमाणपत्र सहित होनी चाहिए।

2.4 किसी भी भारतीय भाषा का अर्थ भारतीय संघ के राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सभी अधिकारिक भाषाएं, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी भारतीय भाषाएं तथा देश में प्रचलित अन्य बोलियां शामिल हैं। निर्माताओं को संबंधित क्षेत्र के जिलाधिकारी/जिलाधीश या गृहसचिव से बोली के प्रचलन के बारे में प्रमाणपत्र देना होगा।

2.5 मूक फ़िल्मों में भी पात्रता रखेंगी।

2.6 किसी भी व्यक्ति, निर्माता, निर्माता एकक, सरकारी संगठन, कंपनियों तथा फ़िल्म तथा मीडिया संस्थानों के विद्यार्थियों से अधिकतम 7 प्रविष्टियां ही स्वीकार की जाएंगी। फ़िल्म और मीडिया संस्थानों से प्रविष्टि इस आधार पर स्वीकार की जायेगी कि वह फ़िल्म गैर-कथाचित्र/डिप्लोमा के अन्तिम वर्ष के छात्र की हो तथा विधिवत रूप से यह भी प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वह इस संस्थान के छात्र की स्वतंत्र रूप से बनाई फ़िल्म हो।

3. फ़िल्म की प्रविष्टि प्रक्रिया

प्रविष्टि के साथ निम्नलिखित भी भेजा जाए:-

(क) भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम हेतु प्राधिकार पत्र

(ख) कथासार (250 शब्दों से कम) (71nfa2023@gmail.com पर ई मेल भी करें)

(ग) केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड जारी प्रमाण पत्र की दो प्रमाणित प्रतियां।

(घ) शपथ- पत्र (अनुलग्नक VI)

(ङ) भारत सरकार द्वारा जारी आवेदक की फोटो आईडी या आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति (अनिवार्य)।

(च) 5900/- रुपये. (18% जीएसटी सहित) का एक गैर वापसी योग्य प्रवेश शुल्क ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म ऑनलाइन जमा करते समय ऑनलाइन प्रेषित किया जाना चाहिए।

(छ) फ़िल्म का प्रिन्ट (डीसीपी/ ब्लूरे/ पेन ड्राइव/ वीडियो डिजिटल प्रारूप में बनाई गई फ़िल्मों के मामले में)

(ज) निर्माता, निर्देशक, कैमरामैन, संगीत निर्देशक, ध्वनि आलेखक, संपादक, प्राक्कथक, संगीत निर्देशक, एनीमेटर (कार्टून फ़िल्मों के मामले में) की संक्षिप्त जीवनियां और प्रत्येक के दो-दो फोटो (केवल 71nfa2023@gmail.com पर ई-मेल द्वारा भेजे जाएं)

अनुसूची ॥

पुरस्कार की श्रेणीयां

क्र. सं.	पुरस्कार श्रेणी	पदक और पुरस्कार राशि (प्रमाणपत्र के अतिरिक्त)
I	सर्वश्रेष्ठ गैर-फ़ीचर फ़िल्म गैर फ़ीचर फिल्मों के सभी प्रारूप- वृत्तचित्र, लघु, एनीमेशन- इस श्रेणी के लिए पात्र होंगे।	निर्माता - स्वर्ण कमल और 3,00,000 रुपये निर्देशक - स्वर्ण कमल और 3,00,000 रुपये
II	निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम गैर-फ़ीचर फ़िल्म	निर्देशक - स्वर्ण कमल और 3,00,000 रुपये
III	सर्वश्रेष्ठ जीवनी/ऐतिहासिक पुनर्निर्माण/संकलन फ़िल्म	निर्माता- रजत कमल और 2,00,000 रुपये निर्देशक - रजत कमल और 2,00,000 रुपये
IV	सर्वश्रेष्ठ कला / संस्कृति फ़िल्म	निर्माता- रजत कमल और 2,00,000 रुपये निर्देशक - रजत कमल और 2,00,000 रुपये
V	सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र	निर्माता- रजत कमल और 2,00,000 रुपये निर्देशक - रजत कमल और 2,00,000 रुपये

VI	सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ गैर-फ़ीचर फ़िल्म	निर्माता- रजत कमल और 2,00,000 रुपये निर्देशक - रजत कमल और 2,00,000 रुपये
VII	सर्वश्रेष्ठ एनीमेशन फ़िल्म	निर्माता- रजत कमल और 2,00,000 रुपये निर्देशक - रजत कमल और 2,00,000 रुपये एनिमेटर - रजत कमल और 2,00,000 रुपये
VIII	सर्वश्रेष्ठ लघु फ़िल्म (30 मिनट तक)	निर्माता- रजत कमल और 2,00,000 रुपये निर्देशक - रजत कमल और 2,00,000 रुपये
IX	सर्वश्रेष्ठ निर्देशन	निदेशक - स्वर्ण कमल और 3,00,000 रुपये
X	सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी	सिनेमैटोग्राफर - रजत कमल और 2,00,000 रुपये
XI	सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिज़ाइन	ध्वनि डिज़ाइनर - रजत कमल और 2,00,000 रुपये
XII	सर्वश्रेष्ठ संपादन	संपादक- रजत कमल और 2,00,000 रुपये
XIII	सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन	संगीत निर्देशक - रजत कमल और 2,00,000 रुपये
XIV	सर्वश्रेष्ठ प्रकथन/वॉयस ओवर	प्रकथन/वॉयस ओवर आर्टिस्ट - रजत कमल और 2,00,000 रुपये

XV	सर्वश्रेष्ठ पटकथा	पटकथा लेखक-रजत कमल और 2,00,000 रुपये
----	-------------------	--------------------------------------

नोट- विशेष उल्लेख

निर्णायक मंडल द्वारा विशेष उल्लेख हो सकता है। पूरे गैर-फ़ीचर फ़िल्म वर्ग में अधिकतम 2 विशेष उल्लेख हो सकते हैं जो निर्णायक मंडल के विवेक पर किसी उपयुक्त फ़िल्म या किसी ऐसे व्यक्ति को दिए जा सकते हैं जो पहले से ही पुरस्कारों में शामिल नहीं है। ऐसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।

*गैर-फ़ीचर फ़िल्म पुरस्कारों के संबंध में टिप्पणियों में पुरस्कारों के युक्तिकरण खंड 2.10 (iii) पर रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ चलचित्रण के लिए पुरस्कार राशि 2,00,000/- रुपये के रूप में उल्लिखित की जानी है।

प्रविष्टि प्रपत्र गैर-फ़ीचर फ़िल्म

टिप्पणी

- I. इस प्रपत्र को भरने में अत्यधिक सावधानी बरतें। आवेदन पत्र के प्रत्येक कॉलम में प्रविष्टि किया गया विवरण पुरस्कार के लिए अंतिम माना जाएगा, इसमें किसी भी स्तर पर कोई भी विवरण बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- II. निर्माता/निर्माण कंपनी यह सुनिश्चित करें कि प्रविष्टि पत्र में दिये गये नाम फ़िल्म में दिये गये नाम क्रेडिट टाइटल्स के अनुरूप ही हों।
- III. प्रविष्टि प्रपत्र के कॉलम 14 में सूचना देते समय निर्माता/निर्माण कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसमें उसका पूरा पता, ई-मेल का पता, टेलीफोन नं., मोबाइल फोन नं., फैक्स नं.(यदि कोई हो) दिया जाये।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर (शाम 5.00 बजे तक) है और आवश्यक सामग्री के साथ जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2024 होगी। (नोट: आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के दोनों संस्करण समान होने चाहिए)।

1. फ़िल्म का शीर्षक:

- (क) रोमन लिपि में
- (ख) देवनागरी में
- (ग) फ़िल्म शीर्षक का अंग्रेजी अनुवाद
2. भाषा: (यदि फ़िल्म में संवाद ना हों तो इंगित करें):
3. क्या फ़िल्म का उपशीर्षक अंग्रेजी में है
4. क्या यह निर्देशक की पहली फ़िल्म है: हां/नहीं:
5. फ़िल्म कितने समय की है (मिनट):

6. प्रारूप

(क) डीसीपी/ब्लू रे

(ख) आस्पेक्ट अनुपात

(ग) ध्वनि प्रणाली: ऑप्टिकल मोनो/डॉल्बी/डीटीएस या अन्य

7. रंगीन/श्वेत श्याम

8. केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणीकरण का विवरण

(क) सेंसर प्रमाणपत्र की संख्या

(ख) सेंसर प्रमाणपत्र की तारीख

9. कंपनी का पंजीकरण

(क) कंपनी का पंजीकरण विवरण

10. शीर्षक का पंजीकरण

(क) शीर्षक का पंजीकरण विवरण

11. निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम, पता, तथा टेलीफोन नं.

(i) निर्माता का विवरण

नाम	संपर्क	ईमेल आईडी	राष्ट्रीयता	निर्माता जो पुरस्कार प्राप्त करेंगे	भारत सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
-----	--------	-----------	-------------	-------------------------------------	--

(ii) निर्देशक का विवरण

नाम	संपर्क	ईमेल आईडी	राष्ट्रीयता	भारत सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
-----	--------	-----------	-------------	--

(क) एनिमेशन फ़िल्म के लिए

(1) एनिमेटर

(ख) सिनेमेटोग्राफर:

नोट: कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या फ़िल्म को मूल रूप से डिजिटल/वीडियो प्रारूप पर शूट किया गया है।

(ग) ध्वनि डिज़ाइन:

(घ) सम्पादक:

(ड) संगीत निर्देशक:

नोट: कृपया बताएं कि क्या प्रयुक्त संगीत मौलिक है

(च) कथावाचक/वॉयस ओवर कलाकार:

(छ) पटकथा लेखक:

13. फ़िल्म का प्रिन्ट निम्नलिखित पते पर वापस भेजा जाए:

नाम:

डाक का पता (पिन कोड सहित):

दूरभाष:	(मोबाइल) (0)
---------	--------------

(फैक्स) ईमेल:

वेबसाइट:

14. प्रविष्टि शुल्क के ऑनलाइन प्रस्तुति के ब्यौरे

(क) भुगतान की तिथि

(ख) शुल्क रुपये.

(ग) रसीद सं./ भुगतान का विवरण

(घ) भुगतान की रसीद संलग्न करें (स्कैन कॉपी)

15. राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम के पक्ष में प्राधिकार पत्र संलग्न है:- हां/नहीं

16. (क) मुझे/हमें इस फ़िल्म का निर्णायक मंडल के लिए या इसके किसी पैनल के लिए अथवा उत्कृष्ट भारतीय सिनेमा के प्रतिनिधि के रूप में शामिल इस फ़िल्म के प्रोत्साहन के लिए भारत अथवा विदेश में राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम द्वारा आयोजित/प्रोत्साहित विभिन्न फ़िल्म समारोहों/विशिष्ट आयोजनों में अव्यापारिक आम प्रदर्शन किसी भी प्रारूप (प्रिन्ट अथवा डिजिटल) में तथा फोटो/पोस्टर/टेलर/दृश्य क्लिपिंग के माध्यम से फ़िल्म के प्रोत्साहन एवं उन्नयन में कोई आपत्ति नहीं है।

मैं/हम यह भी विश्वास दिलाता हूँ/दिलाते हैं कि राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम के लिए यह अनापत्ति भविष्य में यदि फ़िल्म के अधिकार किसी भी क्षेत्र में व्यापारिक/अव्यापारिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को दे दिए जाते हैं तब भी यह अनापत्ति निगम के लिए मान्य रहेगी।

(ख) राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम के पास यह अधिकार निहित है कि वह अपने व्यय में कोई भी भारतीय या विदेशी भाषा में फ़िल्मों का उपशीर्षक दे सकता है और अधिकार धारक को राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार की घोषणा के बाद भारत और विदेश में गैर-वाणिज्यिक स्क्रीनिंग के लिए फ़िल्म की स्क्रिप्ट (ई एस टी) जल्द ही प्रस्तुत करना होगा।

(ग) निर्णायक मंडल की स्क्रीनिंग के लिए प्रस्तुत सभी पुरस्कार विजेता फ़िल्म डीसीपी (अनएन्क्रिप्टेड) / ब्लू रे/पेन ड्राइव भारत और विदेश में गैर-वाणिज्यिक स्क्रीनिंग के लिए राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम द्वारा रखा जाएगा।

17. (क) मैंने/हमने राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार विनियम देख लिए हैं और मैं/ हम इन विनियमों को स्वीकार करते हैं।

(ख) निर्णायक मंडल सिफारिश करेगा जिसका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमोदन किया जाएगा और मंत्रालय के निर्णय को अंतिम तथा बाध्यकारी माना जाएगा।

(ग) मैं/हम मंत्रालय के निर्णय को अंतिम तथा बाध्यकारी मानने के लिए सहमत हूँ।

(घ) मंत्रालय का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी माना जाएगा और मैं/हम मंत्रालय के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील तथा पत्राचार नहीं करेंगे।

18. मैं/ हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि प्रविष्टि की गई किसी फ़िल्म के रूपांतरण, डब/संशोधित/नकल किया हुआ नहीं है।

19. मैं/ हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि फ़िल्म में अधिगृहीत दृश्यों के लिए यथोचित अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई है एवं इसे शीर्षकों में दर्शाया भी गया है।

20. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि प्रयुक्त संगीत मौलिक है।

21. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि फ़िल्म किसी भी तरह से भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है।

22. मैं/ हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त दी गई सूचनाएं मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार ठीक हैं तथा कथित फ़िल्म के नामोल्लेख के अनुकूल हैं। मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार प्रकोष्ठ को यह पूर्ण अधिकार है कि यदि उन्हें लगे कि प्रविष्टि में प्रदत्त सूचनाएं, अधूरी या गलत हैं तो उसे किसी भी स्तर पर अस्वीकार कर सकते हैं।

हस्ताक्षर

(मुहर):

तारीख:

प्रविष्टि भेजने वाले व्यक्ति का नाम, पूरा पता तथा टेलीफोन नंबर.

पता:

टेलीफोन नंबर (कार्यालय):

(निवास):

मोबाइल:

फैक्स: ईमेल:

गैर फ़ीचर फ़िल्म

फ़िल्मों के लिए जांच सूची

1. ऑनलाइन प्रविष्टि प्रपत्र की हार्ड कॉपी (दो प्रतियां)
2. ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टि शुल्क (गैर फ़ीचर फ़िल्म के लिए 18% जीएसटी सहित 5,900/- रुपये.)
3. राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम हेतु प्राधिकार पत्र
4. शपथ-पत्र (अनुलग्नक 1)
5. केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड का प्रमाण पत्र
6. भारत सरकार द्वारा जारी आवेदक की फोटो आईडी या आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति (अनिवार्य)।
7. ब्लूरे/डीसीपी/ और पेन ड्राइव
8. गीत की मूल भाषा की एक सी डी एवं उसका अंग्रेज़ी अनुवाद।

9. कथासार, निर्देशक की फोटो, फ़िल्म की तस्वीरें और फ़िल्म का ट्रेलर अनिवार्य रूप से प्रविष्टि पत्र के साथ डीवीडी/पेन ड्राइव के साथ ईमेल 71nfa2023@gmail.com के जरिए भी जमा किया जाए।

71 वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2023

शपथ-पत्र

(गैर-फ़ीचर फ़िल्म हेतु)

(20 रुपये या अधिक के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें)

फ़िल्म का शीर्षक:

मैं घोषणा करता हूँ कि:

(1) प्रविष्टि प्रपत्र तथा अन्य प्रपत्रों में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही हैं।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि प्रविष्टि प्रपत्र में उल्लिखित नाम क्रेडिट शीर्षक में दिए गए नामों के समान ही हैं।

(3) प्रस्तुत की गई फ़िल्म का प्रिंट/वीडियो, 2023 में सीबीएफसी द्वारा 2023 में जारी प्रमाण पत्र के साथ प्रमाणित संस्करण या सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम 2024 के नियम 31 के तहत बदली गई फ़िल्म के लिए सीबीएफसी द्वारा किए गए समर्थन का प्रतिनिधित्व करती है।

(4) यह घोषित किया जाता है कि गैर-फ़ीचर फ़िल्म को राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों के किसी अन्य संस्करण में, किसी अन्य भाषा में लागू नहीं किया गया है।

(5) एक बार फ़िल्म राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों के लिए प्रस्तुत हो जाने के बाद, इसे राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा तक किसी भी रूप में संशोधित/परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(6) यह प्रमाणित है कि फ़िल्म ___ भाषा संख्याओं में है और _____ संस्करणों को सीबीएफसी से प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

(7) मेरी फ़िल्म का संगीत मौलिक है।

(8) सम्पूर्ण फुटेज मौलिक है।

फ़िल्म में जहां भी संचित दृश्यों को प्रयोग किया है उसकी यथोचित अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई है और:

(क) मैं संचित दृश्यों की पूरी सूची प्रत्येक शॉट की अवधि के साथ संलग्न कर रहा/रही हूँ।

(ख) मैं संचित दृश्यों के प्रयोग के प्राधिकार के अनुज्ञप्ति पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न कर रहा/रही हूँ।

(ग) प्रमाणित किया जाता है कि प्रयुक्त संगीत मौलिक है।

(9) मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि हमारी प्रविष्टि/पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा रद्द किया जा सकता है, यदि पुरस्कार के लिए हमारे या किसी कलाकार/कर्मिंदल द्वारा कोई दावा किया गया है जिसका श्रेय फ़िल्म के शीर्षक में नहीं दिया गया है।

(10) मैं/हम सहमत हैं कि भाग ए के खंड 22.2 के उल्लंघन के मामले में प्रविष्टि/पुरस्कार/पुरस्कार अयोग्य/रद्द किए जा सकते हैं।

निर्माता का नाम: -----

पता: -----

मोबाइल: -----

दूरभाष (0) -----

भाग-द
सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन

सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन विनियम

1.पुरस्कार:

इस वर्ग में निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे:

2.सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक

(क) पुस्तक के लेखक/लेखकों को स्वर्ण कमल और 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। संयुक्त लेखकों की दशा में नकद पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को बराबर-बराबर बांटा जाएगा।

(ख) पुस्तक के प्रकाशक को स्वर्ण कमल और 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

3.सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म समीक्षक:

स्वर्ण कमल और 1,00,000/-रुपये का नकद पुरस्कार।

पात्रता:

3.1 सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार 1 जनवरी, 2023 और 31 दिसंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) के बीच भारत में किसी भी भाषा में सिनेमा पर प्रकाशित किसी भी पुस्तक को दिया जाएगा।

3.2 सिनेमा पर केवल पंजीकृत आईएसबीएन (अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या) वाली पुस्तकों पर विचार किया जाएगा।

3.3 उसी लेखक के उन लेखों के संग्रह, जो पात्रता की अवधि के अन्दर पुस्तक के रूप में प्रकाशित किए गए हों, भी पात्र हैं।

3.4 अनुवाद, संक्षेप तथा सम्पादित या समीक्षा और पुनर्मुद्रण संबंधी रचनाएं पात्र नहीं हैं।

3.5 लेखक/समीक्षक भारतीय नागरिक होना चाहिए।

3.6 आयोजकों के स्टाफ के किसी सदस्य द्वारा लिखी पुस्तक और/ अथवा किसी लेख को प्रविष्टि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.7 लेख प्रिन्ट मीडिया के उन नियमित प्रकाशनों या समाचार पत्रों में प्रकाशित होना चाहिए जो कि भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय (आर.एन.आई.) में पंजीकृत हों।

3.8 भारत सरकार, किसी विशेष भाषा में दर्ज पुस्तकों/लेखों की संख्या को ध्यान में रखने के बाद, अपने विवेकाधिकार पर, पुस्तकों/लेखों की सिफारिश करने के लिए उस विशेष भाषा के लिए छोटे क्षेत्रीय पैनलों का गठन कर सकती है, जिन्हें बाद में सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए निर्णायक मंडल द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(क) लेखन को भारतीय डिजिटल मीडिया में प्रकाशित किया जाना चाहिए जो 'आईटी नियम, 2021' से संबंधित नियामक पहलुओं के अनुरूप हो।

(ख) डिजिटल मीडिया का अर्थ है कोई भी नियमित रूप से प्रकाशित/अद्यतन वेब-केवल समाचार पोर्टल, फ़िल्म सोसायटी जर्नल, नियमित प्रिंट मीडिया के ऑनलाइन संस्करण आदि।

(ग) ऑनलाइन समाचार पोर्टल, पत्रिकाएं आदि भारत से और भारत में स्थित उनके संपादकीय और व्यापार मुख्यालय के साथ प्रकाशित की जानी चाहिए। साथ ही, ऐसे प्लेटफार्मों / पोर्टल / पत्रिकाओं के मालिक और संपादक भारतीय होने चाहिए।

(घ) व्यक्तिगत ब्लॉग / सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रकाशित लेखन प्रस्तुत करने के लिए योग्य नहीं होगा।

(ङ) प्रकाशित लेख किसी भी भारतीय भाषा में हो सकते हैं।

(च) प्रस्तुत लेखन योग्यता अवधि यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2023 तक के दौरान प्रकाशित होना चाहिए।

3.9 सिनेमा पर विश्वकोश(directory), शब्दकोश, निर्देशिका पात्र नहीं हैं।

3.10 एक प्रविष्टि में केवल एक ही पुस्तक स्वीकार्य है। भागों या खंडों में विभाजित पुस्तकों के लिए अलग-अलग प्रविष्टि फॉर्म और शुल्क की आवश्यक हैं।

सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म समीक्षक

3.11 "सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म समीक्षक" का पुरस्कार 1 जनवरी, 2023 और 31 दिसंबर, 2023 के बीच किसी भी भाषा में भारतीय समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, और डिजिटल मीडिया में

प्रकाशित सिनेमा पर आलोचनात्मक अध्ययन, समीक्षा या लेखों के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ आलोचक को दिया जाएगा।

3.12 लेख प्रिंट मीडिया में भारत के समाचार पत्र रजिस्ट्रार (आरएनआई) के साथ पंजीकृत नियमित पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित होना चाहिए।

3.13 पुस्तकों में प्रकाशित लेख पात्र नहीं हैं।

3.14 डिजिटल मीडिया में प्रकाशित लेखन के संबंध में, समाचार पोर्टल को 'आईटी नियम, 2021' से संबंधित निम्नलिखित नियामक पहलुओं, यानी सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अनुरूप होना चाहिए।

(1) आईटी नियम, 2021 के नियम 18 के अनुसार मंत्रालय को जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए, और आईटी नियम, 2021 के भाग 3 के अनुपालन में होनी चाहिए।

(2) ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री के लिए आईटी नियम, 2021 में निर्धारित आचार संहिता के अनुपालन में होना चाहिए।

(3) इसकी सामग्री के संबंध में आईटी नियम, 2021 या भारत में किसी भी न्यायालय के तहत कोई प्रतिकूल आदेश नहीं होना चाहिए।

4. प्रविष्टि की प्रक्रिया:

4.1 सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए पुरस्कार के मामले में प्रविष्टि उसके लेखक या प्रकाशक द्वारा की जा सकती है। सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म समीक्षक के लिए पुरस्कार के मामले में प्रविष्टि स्वयं समीक्षक द्वारा अथवा समाचार पत्र/पत्रिका/जर्नल के प्रकाशक/संपादक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है परन्तु पुरस्कार केवल लेखक/समीक्षक को ही दिया जाएगा।

4.2 प्रकाशक/कम्पनी भारतीय होने चाहिए।

4.3 भारत सरकार द्वारा जारी आवेदक की फोटो आईडी या आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करें (अनिवार्य)

4.4 विचार के लिए प्रकाशक/लेखक के पूरे पते के साथ पुस्तकें/लेखों की अनुसंशा फेडरेशन ऑफ़ फ़िल्म सोसाइटीज ऑफ़ इंडिया से सम्बद्ध संस्थाओं, फ़िल्म फेडरेशन ऑफ़ इंडिया, साहित्य कला अकादमियों या किसी भी मान्यता-प्राप्त साहित्य- सांस्कृतिक संगठन द्वारा की जा सकती है। फिर पुरस्कारों के लिए विचार हेतु इस प्रकार के लेखकों से अपनी पुस्तकों/लेखों की प्रविष्टि भेजने हेतु सम्पर्क किया जा सकेगा। यदि कोई प्रकाशक/लेखक पुरस्कारों के लिए अपनी रचनाओं की प्रविष्टि नहीं करता है तो उन पर निर्णायक मंडल द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

4.5 सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए पुरस्कार हेतु प्रविष्टियों के मामले में प्रविष्टि फार्म के साथ निम्नलिखित भेजा जाएगा:

- (क) पुरस्कार के लिए प्रविष्टि पुस्तक की 5 प्रतियां।
- (ख) पुस्तक के सारांश की अंग्रेजी/हिंदी में 5 प्रतियां।
- (ग) लेखक/लेखकों तथा प्रकाशक/प्रकाशकों का संक्षिप्त जीवनवृत्त (200 शब्दों में) (अंग्रेजी/हिन्दी में)।
- (घ) लेखक/लेखकों की उच्च रेज़ॉल्यूशन के 5 फोटो और पुस्तक के कवरपेज की स्कैन की हुई प्रति।

4.6 सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म समीक्षक के पुरस्कार हेतु प्रविष्टियों के मामले में, प्रविष्टि प्रपत्र के साथ निम्नलिखित भेजे जाएं:-

- (क) रचनाओं की कतरन जो 5 से कम तथा 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - (1) समाचार पत्रों, प्रकाशनों आदि के नाम, जिनमें ये छपी हों।
 - (2) प्रकाशनों की तिथियाँ/स्थान. प्रवेश पत्र के साथ प्रिंट/डिजिटल मीडिया से प्रत्येक कतरन की 5-5 छायाप्रतियां अवश्य संलग्न हों।
 - (3) प्रस्तुत किए गए ऑनलाइन लेखों का प्रिंट आउट स्पष्ट रूप से वेबसाइट में लेख का लिंक भी देना / दिखाना अनिवार्य है, प्रकाशन की तारीख प्रिंट आउट में दिखाई देना अनिवार्य है।

(ख) समीक्षक का संक्षिप्त हिंदी या अंग्रेजी में जीवन-वृत्त (अधिकतम 250 शब्दों में)।

(ग) समीक्षक के कार्य की उच्च रेज़्यूलेशन 5 तस्वीरें।

4.7 5900 /- रुपये. (18% जीएसटी सहित) का एक गैर वापसी योग्य प्रवेश शुल्क ऑनलाइन प्रवेश फार्म जमा करते समय ऑनलाइन प्रति के साथ ऑनलाइन प्रेषित किया जाना चाहिए।

71 वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2023
सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन
प्रविष्टि प्रपत्र

प्रकाशक निर्धारित ऑनलाइन प्रविष्टि फॉर्म पर आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2023 के फॉर्म और विनियम www.mib.gov.in पर उपलब्ध हैं ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर 2024 (शाम 5.00 बजे तक) है और अपेक्षित सामग्री के साथ प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2024 होगी। (नोट: आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के दोनों संस्करण समान होने चाहिए)

1- सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए पुरस्कार:-

- (1) पुस्तक का शीर्षक (स्पष्ट अक्षरों में)
- (क) मूल भाषा में:
- (ख) अंग्रेजी में:
- (ग) पुस्तक शीर्षक का अंग्रेजी अनुवाद:
- (घ) भाषा
- (ङ) लेखक का नाम
- (च) प्रकाशन की तारीख
- (छ) पृष्ठों की संख्या:
- (ज) मूल्य

2. सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म समीक्षक के लिए पुरस्कार

- (1) लेखक/समीक्षक का नाम:
- (2) लेख/समीक्षा का शीर्षक/ भाषा/ समाचार पत्र/ पत्रिका/जर्नल का नाम/ समीक्षा या लेखन की तिथि/ प्रकाशक का नाम
- (3) क्या प्रकाशन भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आरएनआई) से पंजीकृत है यदि हां तो आरएनआई पंजीकरण संख्या:
- (4) ऑनलाइन पोर्टल के लिए, यदि सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार को आईटी नियम, 2021 के नियम 18 के तहत जानकारी प्रस्तुत की गई है: हाँ/नहीं

3. लेखक/ आलोचक का नाम, पता और टेलीफोन नंबर:

4. ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का विवरण

- (क) भुगतान तिथि
- (ख) रुपये. का शुल्क
- (ग) रसीद संख्या/ भुगतान संदर्भ
- (घ) भुगतान रसीद संलग्न करें (स्कैन कॉपी)

5. (क) पुस्तक के प्रकाशन/समाचार पत्र (पत्रों) के संपादक (संपादकों) का (के) नाम, पता (पते) और दूरभाष संख्या या लैंडलाइन तथा मोबाइल, ई-मेल पता तथा फैक्स न., (यदि हो) नागरिकता विवरण सहित:

(ख) लेखक/समीक्षक (क्या भारतीय नागरिक है) यदि नहीं तो नागरिकता प्राप्त देश का उल्लेख करें।

6. प्रविष्टि भेजने वाले व्यक्ति का नाम पता और टेलीफोन नं (लैंडलाइन तथा मोबाइल) आवेदक की फोटो आईडी या आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति (अनिवार्य), ई-मेल पता तथा फैक्स न. (यदि हो)।

7.(क) मैंने/हमने राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार विनियम देख लिए हैं और मैं/हम इन विनियमों को स्वीकार करते हैं।

(ख) निर्णायक मंडल सिफारिश करेगा, जिसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और मंत्रालय के निर्णय को अंतिम तथा बाध्यकारी माना जाएगा।

(ग) मैं/हम मंत्रालय के निर्णय को अंतिम तथा बाध्यकारी मानने के लिए सहमत हूं।

(घ) मंत्रालय का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी माना जाएगा और मैं/हम मंत्रालय के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील अथवा पत्राचार स्वीकार नहीं करेंगे।

दिनांक:

हस्ताक्षर:

सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन

जांच सूची

1. प्रविष्टि प्रपत्र
2. भारत सरकार द्वारा जारी आवेदक की फोटो आईडी या आधार कार्ड की स्वयं-सत्यापित प्रति (अनिवार्य)।
3. प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा किया जाना है।
(सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए 5,900 रुपये/-, 18% जीएसटी टीसहित)
4. पुस्तक की 05 प्रतियां
5. प्रत्येक कतरन की 05 प्रतियां (कम से कम 5 तथा अधिकतम 10)
6. लेखक/ प्रकाशक/ समीक्षक की प्रोफाइल केवल ई-मेल **71nfa2023@gmail.com** द्वारा।
7. लेखक/समीक्षक के फोटो/प्रकाशक का लोगो।

अनुसूची-III
प्राधिकार पत्र
71 वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2023
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

प्राधिकार पत्र (निर्माता और निगेटिव अधिकार धारक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं)।
विषय: फ़िल्म का शीर्षक

महोदय,

हम आपको उपरोक्त फ़िल्म की डीसीपी (अनएन्क्रिप्टेड)/ब्लूरे (रीजन फ्री पीएएल) कॉपी तैयार करने और इसे राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम, नई दिल्ली को देने के लिए प्राधिकृत करते हैं। प्रिंट/डीसीपी/ब्लूरे (रीजन फ्री पीएएल) का उपयोग निगम द्वारा भारत और विदेशों में फ़िल्म समारोहों, फ़िल्म सप्ताहों और अन्य गैर-वाणिज्यिक प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए किया जाएगा। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि निगम के पास भारत और विदेशों में गैर-वाणिज्यिक स्क्रीनिंग का अधिकार रहेगा। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि निगम के पास गैर-वाणिज्यिक समारोह के स्क्रीनिंग प्रयोजनों का अधिकार जारी रहेगा, भले ही अधोहस्ताक्षरी ने किसी संगठन एजेंसी को क्षेत्र के अधिकारों पर हस्ताक्षर या बिक्री की हो।

वांछित प्रारूप में फ़िल्म की प्रतिलिपि बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्था राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम द्वारा की जाएगी, जो सीधे निर्माता/ कॉपीराइट धारक के साथ प्रोसेसिंग शुल्क का निपटान करेगा।

(हस्ताक्षर और मोहर)

(हस्ताक्षर और मोहर)

निगेटिव अधिकार धारक

निर्माता

अनुसूची- IV
(उप-नियम 15 (ख) के अनुसार)
केवल जूरी सदस्यों/अध्यक्षों द्वारा भरा जाए

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि -

1. मैंने राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई गई 71वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2023 (फ़्रीचर फ़िल्म वर्ग/गैर-फ़्रीचर फ़िल्म/सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन वर्ग) की प्रविष्टियों की सम्पूर्ण सूची देख ली है। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं इन प्रविष्टियों के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित नहीं हूं और न ही इनके साथ मेरा कोई वित्तीय हित जुड़ा हुआ है।
2. मैं अपनी सहमति देता हूं कि यदि मेरी स्वयं की किसी फ़िल्म की प्रविष्टि होती है तो मैं जूरी की सदस्यता के अयोग्य होऊंगा।
3. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि यदि मेरे निकट/रक्त संबंधी (जैसे-पुत्र, पुत्री, मामा/मामी, चाचा/चाची, प्रथम रिश्तेदार, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, दादा, दादी, माता-पिता, भाई, बहन) या विवाह होने से किसी विशिष्ट फ़िल्म से संबंधित होता हूं (चाहे व्यक्तिगत हो या वित्तीय), तो मैं इसके विषय में जूरी स्क्रीनिंग शुरू होने से पहले लिखित में घोषणा कर दूंगा और स्वयं उस फ़िल्म के पूर्वावलोकन से अलग रहूंगा। मैं यह भी सहमति देता हूं कि यदि इस फ़िल्म पर पुरस्कार के लिए वोट होता है तो मेरा वोट न गिना जाए।

4.	मैंने 71 वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2023 से संबंधित विनियमों को पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करूंगा।
5.	मैं जूरी की चर्चा को गोपनीय रखूंगा। मुझे इस बात की जानकारी है कि यदि मुझसे गोपनीयता बनाए रखने का उल्लंघन होता है तो मुझे जीवन भर के लिए राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार, भारतीय पैनोरमा और भारत का अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में जूरी सदस्य बनाने हेतु प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

नई दिल्ली
दिनांक

हस्ताक्षर _____

नाम व पता _____

संपर्क विवरण _____